

नवीन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची

1-	समिति / ट्रस्ट को पंजीयन प्रमाण पत्र समिति के विधान की प्रति।
2-	परिशिष्ट-6 में प्रबंध समिति की सूची (निर्वाचन तिथि सहित)
3-	महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु समिति का प्रस्ताव- जिसमें महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं औचित्य का आधार बताया गया हो तथा खोले जाने वाले संकाय (विषयों सहित) का स्पष्ट उल्लेख हो।
4-	समिति के नाम भूमि के दस्तावेज यथा पट्टा/ रजिस्ट्री/ विक्रय पत्र/ दान पत्र
5-	भूमि का नक्शा ट्रेस
6-	संपूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश/रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट-7 में शपथ पत्र
7-	भूमि का वर्गमीटर में माप का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र
8-	समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये उक्त भूमि को चिन्हित किया गया हों।
9-	पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा (ब्लू प्रिंट) जिसमें खसरा नम्बर व पूर्ण पता लिखा हो। जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हो।
10-	किराये के भवन हेतु पंजीकृत किरायानामा अथवा स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-13)
11-	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
12-	किराये का भवन होने पर भवन एवं भूमि के एक ही निकाय में होने का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-13)
13-	तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर मानदण्डानुसार भवन निर्माण का शपथ पत्र (परिशिष्ट-16)
14-	स्वयं की भूमि पर (संख्या एवं आकार) मानदण्डानुसार प्रस्तावित भवन का ब्लू प्रिंट।
15-	मानदण्डानुसार एफडीआर की छायाचित्र महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (नि.सं.) कॉलेज शिक्षा के संयुक्त नाम से होना आवश्यक हो।
16-	यदि महाविद्यालय पिछडा/आरक्षित विद्यान सभा क्षेत्र में स्थित है, तो सक्षम प्राधिकारी का नवीनतम प्रमाण पत्र।
17-	समिति/महाविद्यालय की अद्यतन बैंक पासबुक की छाया प्रति (न्यूनतम 5 लाख रुपये)
18-	निरीक्षण अधिकारी से प्रमाणित नवीनतम छायाचित्र भूमि भवन पुस्तकालय वाचनालय प्रयोगशालाओं कक्षा कक्ष शौचालय एवं क्रीडा कक्ष खेल मैदान पेयजल आवश्यक सुविधाएं ।
19-	निर्धारित शुल्क रसीद।
20-	परिशिष्ट-16
21-	भूमि एवं भवन का गूगल मेप।
22-	शुल्क संबंधी विरोधाभास होने पर अंतिम निर्णय नीति अनुसार ही मान्य होगा।
23-	परिशिष्ट-16